UPMT010018462026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मथुरा।
उपस्थित–विकास कुमार–I, उच्चतर न्यायिक सेवा
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–887/2026
अनिरूद्धाचार्य प्रति उत्तर प्रदेश राज्य

आदेश

मुकदमा अपराध संख्या 51/2000, धारा 420,467,468,471 भारतीय दण्ड संहिता, थाना वृन्दावन, जिला मथुरा के प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त **अनिरुद्धाचार्य** की ओर से स्वयं को जमानत प्रदान किए जाने के लिए यह जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

2– प्रस्तुत प्रकरण के संक्षिप्त अभियोजन कथानक के अनुसार वादी देवराहा बाबा आश्रम, पोस्ट डॉगौली, थाना–गॉट, जिला–मथुरा में निवास करता है। वादी की जमीन मॉट में खाता संख्या–223 खसरा नं0–203 में करीब 6 एकड़ है, जिसे कि अनिरुद्धाचार्य, श्रीनिवासदास, विष्णुदास शिष्यगण भगवानदास, निवासीगण जानकी बल्लभ मन्दिर, केशी घाट वृन्दावन, थाना–वृन्दावन, जिला–मथुरा व रोहिनीनन्दन शिष्य श्री हरिप्रपन्नाचार्य निवासी–रामानुज नगर, गुरूकुल के पीछे, वृन्दावन, थाना–वृन्दावन, जिला–मथुरा, अजय कुमार अग्रवाल चौखानी पुत्र श्री रामबाबू अग्रवाल चौखानी, निवासी–गोविन्द बाग, वृन्दावन, महेश चन्द्र पुत्र श्री रमन लाल, निवासी–मधुवन कालोनी, मधुवन होटल के पीछे, मथुरा जबरन धौंसपट्टी व जोरामर्जी से षड़यंत्र करके कब्जाना चाहते हैं, इन्होंने पूर्व में दिनांक 26–07–86 को जबरन धोखाधड़ी करके वसीयत भी फर्जी बना ली थी, उक्त वसीयत को प्रार्थी ने दिनांक 14–02–2000 को निरस्त करा दिया है। उपरोक्त सभी लोगों ने षड़यंत्र करके वादी को नगर पालिका परिषद वृन्दावन में वादी की मृत्यु दिनांक 14–10–99 का फर्जी दस्तावेज, झूठे शपथपत्र अजय कुमार व महेश चन्द की ओर से दिनांक 07–02–2000 व दिनांक 08–02–2000 को दिये हैं, जिसमें कि वादी को मृतक दर्शाया गया है, जबकि वादी जिन्दा है। इस शपथपत्र पर वादी की मृत्यु की पुष्टि इन लोगों के अलावा भागवताचार्य भागवतदास, यतीन्द्र प्रपन्नाचार्य, शैलेश प्रपन्नाचार्य, उमेश पारिक, गोविन्ददास, बालकृष्ण, अभिनन्दन, कमलाकान्ताचार्य, वेदान्ती, सुदर्शनदास, अशोक प्रसाद, स्वामी रामकृष्णाचार्य वेदान्ती, रामवरूनदास, पुरुषोत्तमाचार्य, रामभूषण मिश्र, रामचन्द्र, रंजन कुमार, हरीदास, स्वामी रघुनाथाचार्य, स्वामी भागवतदास शास्त्री, नारायणदास व कृष्णदास आदि ने की है। तथा उक्त फर्जी दस्तावेज, जोकि वादी की कीमती जमीन को हड़पने के लिए बनाया गया है, में सम्पूर्ण सहयोग किया गया है व उक्त प्रकरण में इनकी पूरी–पूरी साजिश है। उपरोक्त लोग सरकश किस्म के आपराधिक लोग हैं तथा भूमाफिया हैं। ये लोग वादी की जमीन जोकि काफी कीमती है को वादी को फर्जी तौर से मृतक दिखाकर कब्जा करके उसे बेचना चाहते हैं। उक्त जमीन का वादी ही एक मात्र स्वामी है तथा उक्त जमीन प्रार्थी की ही मिल्कियत है तथा इन्होंने नगर पालिका वृन्दावन से धोखाधड़ी व हेरा–फेरी कर फर्जी साक्ष्य बनाकर व तैयार कर वादी का फर्जी साक्ष्य बनाकर व तैयार कर मुझ प्रार्थी का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 14–02–2000 को हसिल कर लिया है, इस प्रमाण पत्र की बावत वादी को कुछ दिन पूर्व ही जानकारी हुयी है। वादी की जानमाल को उक्त लोगों से पूरा–पूरा खतरा है। इन लोगों का पूरा–पूरा गिरोह है, जोकि वादी की हत्या करने पर आमादा हैं। ये लोग वादी की किसी भी क्षण हत्या कर सकते हैं। सम्पूर्ण कथानक नितान्त असत्य, भ्रामक व झूठा है तथा सत्यता से परे हैं, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। तदनुसार यह अभियोग विरूद्ध आवेदक/अभियुक्त एवं सहअभियुक्तगण पंजीकृत किया गया और बाद विवेचना इस प्रकरण में आरोपपत्र प्राप्त हो चुका है।

3– जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता–फौजदारी को सुना, साथ ही पत्रावली का अवलोकन किया।

4– आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र एवं समर्थित शपथपत्र द्वारा स्वामी अनन्ताचार्य पर बल देते हुए मुख्यतः कथन किए गए हैं कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है,

Digitally signed by VIKAS KUMAR
Date: 2026.03.12 17:10:25 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

उसको झूंठा व गलत फँसाया गया है, उसका यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, इसके अलावा और कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी भी सक्षम न्यायालय या उच्च न्यायालय में न तो विचाराधीन है और न ही खारिज किया गया है। आवेदक/अभियुक्त विरक्त साधू व्यक्ति है, हर समय सेवा–पूजा में लीन रहता है। आवेदक/अभियुक्त ने किसी व्यक्ति के साथ कोई धोखाधड़ी, छल–कपट नहीं किया है, ना ही कूटरचना करके कोई किसी प्रकार का दस्तावेज मृत्यु प्रमाणपत्र आदि तैयार किया है। आवेदक/अभियुक्त का प्रश्नगत सम्पत्ति से कोई लाभ नहीं है। वादी द्वारा की गयी वसीयत दिनांक 26.07.1986 वैध है। उक्त वसीयत से आवेदक/अभियुक्त का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। आवेदक/अभियुक्त सन 2001 से माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त स्थगन पर था। उसके बाद सन 2011 में उक्त स्थगन के समाप्त हो जाने पर उसने सन 2015 में same day सुनवाई का आदेश प्राप्त किया, लेकिन अत्यधिक तबियत खराब होने के कारण अपनी जमानत न्यायालय में उपस्थित होकर नहीं करा पाया, जिस कारण उक्त आदेश निष्प्रभावी हो गया। इसके पश्चात वर्ष 2018 में पुनः माननीय उच्च न्यायालय से same day सुनवाई का आदेश प्राप्त किया, लेकिन आश्रम में गुरूभाई की मृत्यु हो जाने के कारण अपनी जमानत न्यायालय में नहीं करा पाया। इसी अंतराल में अवर न्यायालय से आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध एन०बी०डब्लू० जारी कर दिये गये। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से अंकित करायी गयी है। कथित घटना का मौके का कोई पब्लिक साक्षी नहीं है। वादी के द्वारा शासन प्रशासन को गुमराह करते हुए उक्त मामले की दो घटना दिखाकर एक थाना मांट एवं एक थाना कोतवाली, वृन्दावन में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी गयी है। आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक/अभियुक्त पूर्व सजायाफ्ता नहीं है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 26.02.2026 से इस मामले में न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है। सहअभियुक्तगण श्रीनिवासदास व विष्णुदास की जमानत पूर्व में स्वीकार की जा चुकी हैं। अतः उसको दौरान मुकदमा जमानत प्रदान की जाये।

5– प्रतिवाद में अभियोजन पक्ष की ओर से मुख्यतः तर्क प्रस्तुत किए गए हैं कि आवेदक/अभियुक्त ने सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा की सम्पत्ति को हड़पने के लिए फर्जी वसीयत तैयार करा ली, जिसे वादी द्वारा जानकारी होने पर निरस्त कराया जा चुका है। इसके उपरान्त आवेदक/अभियुक्त ने सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा का फर्जी कूटरचित मृत्यु प्रमाणपत्र तैयार कराया गया। आवेदक/अभियुक्त दौरान विचारण न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं होने पर उसके विरूद्ध गैर जमानती अधिपत्र जारी हुए हैं। अपराध गम्भीर है। आवेदक/अभियुक्त जमानत का पात्र नहीं है। आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये।

6– सहअभियुक्त की जमानत पूर्व में स्वीकार की जा चुकी है।

आवेदक/अभियुक्त दिनांक 26.02.2026 से इस प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है। आवेदक/ अभियुक्त किसी पूर्व प्रकरण में दोषसिद्ध हो, ऐसा अभियोजन पक्ष का कोई तर्क नहीं है, अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रकाश में, बिना प्रकरण के गुण–दोष पर जाए, आवेदक/अभियुक्त को सशर्त जमानत प्रदान किए जाने का न्यायोचित आधार है।

तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त **अनिरूद्धाचार्य** द्वारा मुवलिग 1,00,000/– (एक लाख) रूपए का व्यक्तिगत बन्धपत्र व इतनी ही धनराशि के दो विश्वसनीय प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत किए जाने पर उसे निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियमानुसार जमानत पर रिहा किया जाये–

क– आवेदक/अभियुक्त समान प्रकार के अपराध में पुनः लिप्त नहीं होगा,

ख– आवेदक/अभियुक्त प्रश्नगत विवेचना/विचारण में अपने स्तर से कोई विलम्ब कारित नहीं करेगा,

ग– आवेदक/अभियुक्त न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित होता रहेगा एवं अनावश्यक स्थगन नहीं लेगा,

UPMT010018462026

घ– आवेदक/अभियुक्त अभियोजन साक्षीगण को न डरायेगा और न धमकायेगा तथा अभियोजन साक्ष्य से छेड़छाड़ भी नहीं करेगा,

ङ– आवेदक/अभियुक्त आरोप विरचित किए जाने, धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कथन अंकित किए जाने एवं निर्णय हेतु नियत तिथियों पर आवश्यक रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

कार्यालय लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वह जमानत आदेश की सॉफ्ट कॉपी अधीक्षक, जिला कारागार मथुरा को ई–मेल districtjailmathura@gmail.com पर आवेदक/अभियुक्त के अभिलेख हेतु प्रेषित करना सुनिश्चत करें।

दिनांक–12.03.2026

(विकास कुमार–I)
सत्र न्यायाधीश, मथुरा
I.D.No.–UP1910

सन्देश वर्मा, पी.एस.